

Recommendation of CCF (प्रकरण क्रमांक FP/MP/ROAD/143702/2021)

सिंगरौली जिले के वनमण्डल सिंगरौली में बोदराटोला ग्राम की मौजूदा सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण में सिंगरौली जिले के वन व दान के संरक्षित वनखण्ड दुधीचुआ के कक्ष क्रमांक पी.एफ.- 262 रकवा 0.957 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है।

वनमण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि कक्ष क्रमांक पी.एफ.-262 प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार हाथी कारीडोर में सम्मिलित है।

वनमण्डल की कार्यआयोजना में हाथी कारीडोर के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है।

- (अ) 2.47 (9) कारीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कारीडोर की निरंतरता में व्यवधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थायी, भवन निर्माण, डिपो की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किये जावेंगे।
- (ब) कारीडोर में स्थित कक्षों को यथा संभव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तांतरित नहीं किये जाये। यदि ऐसा करना अवश्यभावी हो तो सर्वप्रथम हाथी कारीडोर की स्थापना की जाये।

कार्यआयोजना के उक्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत मौजूदा सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी उपरोक्त शर्त का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु 0.957 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।


(आनन्द कुमार सिंह भा.व.से. 2001)
मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

भाग III
संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।
(प्रकरण कमांक FP/MP/ROAD/143702/2021)

1	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां / नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी नहीं।
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	महाप्रबंधक झिपुरदा परियोजना जिला सिंगरौली म.प्र. द्वारा बोदराटोला ग्राम की मौजूदा सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण में वनमण्डल सिंगरौली के वन परिक्षेत्र बैटन के संरक्षित वनखण्ड दुधीचुआ के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 262 रकबा 0.957 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। वनमण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि कक्ष क्रमांक पी.एफ.-262 प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार हाथी कारीडोर में सम्मिलित है। वनमण्डल की कार्यआयोजना में हाथी कारीडोर के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है। (अ) 2.47 (9) कारीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कारीडोर की निरंतरता में व्यवधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थायी, भवन निर्माण, डिफेंड स्थाना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किये जायेंगे। (ब) कारीडोर में स्थित कक्षों को यथा सम्भव गैर वाणिज्यी उपयोग हेतु हस्तांतरित नहीं किये जाये। यदि ऐसा करना अवश्यभावी हो तो सर्वप्रथम हाथी कारीडोर की स्थापना की जाये। कार्यआयोजना के उक्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल संगरौली द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत मौजूदा सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु वन भूमि व्यापवर्तन की स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है। वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी उपरोक्त शर्त का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु 0.957 हेक्टेयर वन भूमि व्यापवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

तिथि :
स्थान: सीवा


(आनन्द कुमार सिंह भावरी 2001)
मुख्य वन संरक्षक
सीवा वृत्त सीवा (म.प्र.)